

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर

क्रमांक : लेखा-18 ( )/वि.जां./2017-18/ 1257-80

दिनांक 26-06-2018

संयुक्त निदेशक,

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,

जोन जयपुर/अजमेर/कोटा/जोधपुर/

उदयपुर/बीकानेर/भरतपुर,

विषय :-विशेष जांच प्रतिवेदनों के बकाया आक्षेपों की अनुपालना हेतु कैंप का आयोजन के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि चिकित्सा विभाग के 28 विशेष जांच प्रतिवेदनों के कुल 216 आक्षेप लम्बे समय से बकाया चल रहे हैं। अनुपालना हेतु बार-बार स्मरण पत्र लिखे जाने एवं निदेशालय में की जाने वाली मासिक मिटिंग में निर्देशित करने, के बावजूद भी अनुपालना नहीं भिजवायी जा रही है, जो कि कार्य के प्रति लापरवाही एवं अनुशासनहीनता का प्रतीक है। अनुपालना समय पर नहीं भिजवाये जाने को, राज्य सरकार के स्तर पर, निदेशालय निरीक्षण विभाग, जयपुर एवं विभागीय ऑडिट कमेटी की बैठक में बड़ी गंभीरता से लिया गया है।

अतः आपको एक बार पुनः निर्देशित किया जाता है कि निम्नांकित सूची में अंकित आपके एवं आपके अधीनस्थ कार्यालयों के बकाया आक्षेपों की टोस एवं सारगर्भित अनुपालना प्राप्त कर मय आपकी टिप्पणी सहित दो प्रतियों में नीचे बताये अनुसार दिनांक को प्रातः 11:00 बजे वित्तीय सलाहकार के समक्ष आपके कार्यालय के सहायक लेखाधिकारी/लेखाकर्मियों के साथ अनुपालना व्यक्तिशः आवश्यक रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। अनुपालना नहीं भिजवाने पर होने वाली कार्यवाही के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

जोन:- अजमेर

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	प्रतिवेदन अवधि	आक्षेपों की कुल संख्या	कैंप की दिनांक
1.	मु. चि. एवं स्वा. अधि. भीलवाडा	25/95-96	3	09.07.18
2.	मु. चि. एवं स्वा. अधि. भीलवाडा	03/13-14	4	

जोन:- भरतपुर

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	प्रतिवेदन अवधि	आक्षेपों की कुल संख्या	कैंप की दिनांक
1.	मु. चि. एवं स्वा. अधि. करौली	08/96-97	1	09.07.18

जोन:- बीकानेर

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	प्रतिवेदन अवधि	आक्षेपों की कुल संख्या	कैंप की दिनांक
1.	उप मु. चि. एवं स्वा. अधि. अनुपगढ़	10/02-03	22	10.07.18
2.	प्रभारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अनुपगढ़	09/02-03	3	
3.	राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसायटी, जिला अस्पताल, श्रीगंगानगर	01/17-18	1	

जोन:- जोधपुर

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	प्रतिवेदन अवधि	आक्षेपों की कुल संख्या	कैंप की दिनांक
1.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर	07/95-96	5	11.07.18
2.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर	04/03-04	4	

PTO

जोन:- कोटा

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	प्रतिवेदन अवधि	आक्षेपों की कुल संख्या	कैम्प की दिनांक
1.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा	5/95-96	6	12.07.18
2.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा	4/99-00	17	
3.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा	3/17-18	1	
4.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झालावाड	35/95-96	2	13.07.18
5.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झालावाड	05/03-04	4	
6.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बूंदी	1ई/85-86	11	

जोन:- उदयपुर

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	प्रतिवेदन अवधि	आक्षेपों की कुल संख्या	कैम्प की दिनांक
1.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़/उदयपुर	1 सी/85-86	9	16.07.18
2.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर	8/95-96	2	
3.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर	1ए/85-86	07	

जोन:- जयपुर

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	प्रतिवेदन अवधि	आक्षेपों की कुल संख्या	कैम्प की दिनांक
1.	निदेशालय, मुख्यालय जयपुर (प्रभारी स्टेशनरी स्टोर)	68/95-96	11	17.07.18
2.	निदेशालय, मुख्यालय जयपुर(प्रभारी स्टेशनरी स्टोर)	78/95-96	1	
3.	निदेशालय, मुख्यालय जयपुर (अतिरिक्त निदेशा राजपत्रित)	3/03-04	2	
4.	राज्य कुष्ठ रोग अधिकारी, जयपुर	45/96-97	4	18.07.18
5.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर	66/95-96	4	
6.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सीकर	16/98-99	3	
7.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनू	42/95-96	4	19.07.18
8.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनू	31(1)/97-98	20	
9.	ब्लॉक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बहादुरवास, झुन्झुनू	31(3)/97-98	4	
10.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर	11/2010-11	30	20.07.18
11.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर	18/2010-11	17	

निदेशक (जन सेवा)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,

राजस्थान जयपुर

क्रमांक : लेखा-18 ( )/वि.जा./2017-18/ ~~1271~~ 1257-80 दिनांक : 26-06-2018

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित), मुख्यालय।
2. प्रभारी (स्टेशनरी स्टोर), मुख्यालय।
3. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, ..... राजस्थान को भेजकर लेख है कि आपके एवं आपके अधीनस्थ कार्यालयों से संबंधित विशेष जांच प्रतिवेदनों के बकाया आक्षेपों की अनुपालना लेकर संबंधित लेखाकर्मों को कैम्प में निर्धारित तिथि को उपस्थित होने हेतु निर्देशित करें।
4. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, श्रीगंगानगर राजस्थान।
5. राज्य कुष्ठ रोग अधिकारी जयपुर।
6. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।

निदेशक (जन सेवा)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,

राजस्थान जयपुर